

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि०सं०-भवन/स्था०-०२-विविध-२७/२०१९.....२१११(३)/पटना, दिनांक- ६/३/२०२०

भवन निर्माण विभाग के संकल्प सं०-१०८५१(भ) दिनांक-२२.१०.२०१८ द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-२४०१ दिनांक-१८.०७.२००७ एवं संकल्प ज्ञापांक-१७१८ दिनांक-०६.०५.२०१० में निहित प्रावधानों एवं शर्तों के अधीन विभागीय अधि०सं०-१८८२(भ) दिनांक-१८.०२.२०१९ द्वारा GATE Score के आधार पर संविदा पर नियोजित एवं वर्तमान में कार्यरत कुल २३ (तईस) सहायक विद्युत अभियंता एवं कुल ०६ (छः) सहायक अभियंता (यांत्रिक) की नियोजन अवधि को अगले ०१ वर्ष (दि०-१७.०२.२०२१ तक) के लिए अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) विस्तारित किया जाता है:-

क्र० सं०	सहायक अभियंता का नाम	गृह जिला	पदस्थापन स्थान
१	२	३	४
१	श्री शुभम राज	समस्तीपुर	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल-०१, विद्युत कार्य प्रमंडल सं०-०१, पटना।
२	श्री गोपाल कुमार झा	मधुबनी	प्राक्कलन पदाधिकारी, विद्युत कार्य प्रमंडल सं०-०१, पटना।
३	श्री सोनू निगम	पूर्णिया	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, औरंगाबाद, विद्युत कार्य प्रमंडल, गया।
४	श्री अभिषेक कुमार सौरभ	गया	प्राक्कलन पदाधिकारी, विद्युत कार्य प्रमंडल सं०-०२, पटना।
५	श्री रूपेश कुमार	मधेपुरा	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, गोपालगंज, विद्युत कार्य प्रमंडल, छपरा।
६	श्री मनीष कुमार	पूर्णिया	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, बेटिया, विद्युत कार्य प्रमंडल, मोतिहारी।
७	श्री आशीष गुप्ता	रोहतास	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, सुपौल, विद्युत कार्य प्रमंडल, सहरसा।
८	श्री विमलेश कुमार	नालन्दा	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, अररिया, विद्युत कार्य प्रमंडल, पूर्णिया।
९	श्री हरि ओम कुमार	पूर्वी चम्पारण	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, पुराना सचिवालय, विद्युत कार्य प्रमंडल, सं०-३ पटना।
१०	सुश्री खुशबू कुमारी	पटना	प्राक्कलन पदाधिकारी, विद्युत कार्य अंचल, दक्षिण बिहार उपभाग, पटना।
११	सुश्री कुसुम सिन्हा	पटना	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, जहानाबाद, विद्युत कार्य प्रमंडल, गया।
१२	सुश्री श्वेता कुमारी	दरभंगा	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, दानापुर, विद्युत कार्य प्रमंडल-०२, पटना।
१३	सुश्री ज्योति कुमारी	रोहतास	प्राक्कलन पदाधिकारी, विद्युत कार्य अंचल, उत्तर बिहार उपभाग, पटना।
१४	सुश्री स्वेता शालिनी	मुंगेर	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, बाँका, विद्युत कार्य प्रमंडल, भागलपुर।
१५	सुश्री कोमल मेहता	पटना	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, लखीसराय, विद्युत कार्य प्रमंडल, मुंगेर।
१६	सुश्री अर्चना कुमारी	नालन्दा	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, हाजीपुर, विद्युत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।
१७	सुश्री शालिनी	पटना	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, छपरा, विद्युत कार्य प्रमंडल, छपरा।
१८	सुश्री स्वाति कुमारी	शेखपुरा	योजना अभियंता, मुख्य विद्युत अभियंता का कार्यालय, पटना।
१९	श्री अजय कुमार	गया	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, समस्तीपुर, विद्युत कार्य प्रमंडल, दरभंगा।
२०	श्री कमलेश कुमार	मुजफ्फरपुर	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, मधेपुरा, विद्युत कार्य प्रमंडल, सहरसा।
२१	श्री अनुज कुमार	गया	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, पूर्णिया, विद्युत कार्य प्रमंडल, पूर्णिया।

22	श्री समर आनन्द	गोपालगंज	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, बक्सर, विद्युत कार्य प्रमंडल, आरा।
23	सुश्री रूही बानो	सारण	प्राक्कलन पदाधिकारी, विद्युत कार्य प्रमंडल सं०-03, पटना।
24	श्री अमरेन्द्र सिंह	भोजपुर	सहायक अभियंता (यांत्रिक), भवन अंचल, गया।
25	श्री रंजीत कुमार	पटना	सहायक अभियंता (यांत्रिक), भवन अंचल, दरभंगा।
26	मो० सोएब आमिर	नवादा	सहायक अभियंता (यांत्रिक), भवन अंचल, पूर्णिया।
27	सुश्री शालिनी आनंद	खगड़िया	सहायक अभियंता (यांत्रिक), भवन अंचल, मुजफ्फरपुर।
28	श्री मुकेश कुमार	औरंगाबाद	सहायक अभियंता (यांत्रिक), भवन अंचल, मोतिहारी।
29	सुश्री निधि	नालन्दा	सहायक अभियंता (यांत्रिक), पटना भवन अंचल, पटना।


2. इस संबंध में राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-27.02.2020 (मद सं०-09) में स्वीकृति प्राप्त है।

3. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी से अनुरोध है कि संविदा के आधार पर नियोजित उक्त सहायक विद्युत अभियंता एवं सहायक अभियंता (यांत्रिक) के बीच पुनः नये सिरे से 01 वर्ष के लिए एकरारनामा कराकर मूल प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जाय। एकरारनामा कराने के उपरांत ही वेतनादि का भुगतान किया जाय। एकरारनामा हेतु विहित प्रपत्र संलग्न है।

4. संविदा के आधार पर विभागीय अधि०सं०-1882(भ) दिनांक-18.02.2019 द्वारा नियोजित उक्त सहायक विद्युत अभियंताओं एवं सहायक अभियंता (यांत्रिक) के संबंध में शेष शर्तें पूर्ववत् लागू रहेंगी।

अनु०-यथोक्त।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 2111 (अ)

पटना, दिनांक- 6/3/2020


प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 2111 (अ)

पटना, दिनांक- 6/3/2020


प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 2111 (अ)

पटना, दिनांक- 6/3/2020

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/सभी मुख्य अभियंता/मुख्य विद्युत अभियंता/निदेशक, अनुश्रवण/सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक/विद्युत)/सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित नियोजित सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

परिशिष्ट-1

संविदा के आधार पर पुनः नियोजन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं चयनित/नियोजित श्री के बीच निम्नलिखित शर्तों के साथ की जा रही है:-

1. यह नियोजन केवल सहायक विद्युत अभियंता/सहायक अभियंता (यांत्रिक) (पद का नाम) के लिए किया जायेगा।
2. यह नियोजन संविदा के आधार पर केवल 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए किया जाएगा।
3. संविदा के आधार पर नियोजित श्री को ₹55,000/- प्रतिमाह एकमुश्त राशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।
4. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
5. इस आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
6. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (कौन्ट्रैक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।
7. संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपरोक्त शर्त मान्य होगी। नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेगा तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

नियोजित व्यक्ति का हस्ताक्षर एवं तिथि

